कार्यालय नगरपालिक निगम मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक / ई–टेण्डर / 2026 / 191 मुरैना, दिनांक– 17/04/26

"ई–निविदा आमंत्रण सूचना"

म.प्र.लो.नि.वि. में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एस.ओ.आर. दिनांक 02 अगस्त 2021 (निविदा दिनांक तक संशोधनों सहित) के आधार पर नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्न कार्यों हेतु ऑनलाईन प्रतिशत दर निविदाएें आमंत्रित की जाती हैं।

स. क्र.	ऑनलाईन नं. टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि	कार्य की अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य हेतु समयावधि
1	2026_UAD_501733	वार्ड क्र. 22 लल्ला पान वाले की दुकान से कल्ला जाटव के मकान तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	51.49 लाख	38600/–	10000/–	03 माह

शर्तेः–

1. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं दर प्रस्तुत करने की दिनांक 21/04/26 से दिनांक 21/05/26 को सायं 05:30 बजे तक की जा सकती है।
2. निविदा हेतु निर्धारित अमानत राशि की बैंक ई–पेमेंट एफ.डी.आर. एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जी.एस.टी. नंबर, ई.पी.एफ.,ई.एस.आई.सी. रजिस्ट्रेशन, एफीडेबिट, पेनकार्ड नंबर, ऑर्गनाइजेशन डिटेल्स, आधार कार्ड दिनांक 21/05/26 को सायं 05:30 बजे तक बेवसाईट www.mptenders.gov.in में अपने दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र दिनांक 25/05/26 को खोली जावेगी।
4. निर्धारित अमानत राशि एवं दस्तावेज निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन अपलोड न करने पर उक्त ठेकेदार की निविदा नहीं खोली जावेगी।
5. उपरोक्त निविदा सूचना विभाग की बेवसाईड www.mptenders.gov.in देखी जा सकती है। निविदा में किया गया कोई भी संशोधन उक्त वेबसाईट पर ही किया जावेगा।
6. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। जिसके लिए कोई भी कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
7. निर्माण कार्य से संबंधित क्रस्ट/हाइड्रोलिक/स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार कराने का कार्य संविदाकार द्वारा कराया जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. सफल निविदाकार द्वारा Bid Amount की 3 प्रतिशत Performance security जमा कराने के बाद ही अनुबंध/कार्यादेश किया जायेगा।
9. इसके अलावा निर्माण कार्य के रनिंग देयकों से 7 प्रतिशत सुरक्षा राशि का कटौत्रा किया जायेगा। अन्य करों की कटौत्री नियमानुसार की जाएगी।
10. Defect liability period कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत मान्य किया जावेगा।
11. सी.सी. रोड़ एवं डामरीकरण सड़क के लिये Defect liability period 03 वर्ष+03 माह एवं अन्य सभी कार्यों के लिये 01 वर्ष होगा।
12. Defect liability period तक ठेकेदार की 10 प्रतिशत राशि (7 प्रतिशत एस.डी. की राशि एवं 3 प्रतिशत Performance security की राशि) निगम के पास रहेगी। जो कि इस अवधि के उपरांत कार्य संतोषजनक पाये जाने की दशा में विमुक्त की जावेगी।
13. नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से किया जावेगा।
14. नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 15728 भोपाल दिनांक 26.12.2022 में प्रसारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित होगा।
15. म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा अव्यावहारिक निविदाओं में अतिरिक्त परफ़ोरमेंस सुरक्षा राशि के संबंध में जारी परिपत्र क. एफ–237/2024/18–2/2165/2265526/24/182 दिनांक 06.09.2024 के प्रावधान बंधनकारी होगें।

आयुक्त
नगरपालिक निगम मुरैना

क्रमांक / ई–टेण्डर / 2025 / मुरैना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–

1. संवाददाता.................................की ओर लेख है कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम स्पेश में अपने दैनिक समाचार पत्र में अविलम्ब कराने का कष्ट करें।

आयुक्त
नगरपालिक निगम मुरैना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanu Pratap Singh Tomar
Date: 2026.04.20 12:10:59 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner